भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2700

दिनांक 19.12.2023 को उत्तरार्थ

ग्रामीण आवास के मालिकों के अधिकारों का रिकार्ड

2700. श्री चुन्नीलाल साहू:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में मकान मालिकों को अधिकारों का रिकार्ड प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय क्षेत्र की योजना "स्वामित्व" में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित देश में "स्वामित्व" योजना के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;
(ग) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ में इसके कवरेज का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को आबंटित की गई राशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल)

(क): पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) गांव के संपत्ति मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड (आरओआर) प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी (आबादी) भूमि का सीमांकन करना है। यह एमओपीआर, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) का एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस योजना में विविध पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे, संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा और बैंक ऋण को सक्षम करना; संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना और व्यापक ग्राम स्तरीय योजना। यह सच्चे अर्थों में ग्राम स्वराज हासिल करने और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहला कदम है।

14 दिसंबर, 2023 तक, 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के साथ स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 2.89 लाख गांवों

में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। 1.05 लाख गांवों में 1.63 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किये गये हैं. हरियाणा में योजना संतृप्त हो चुकी है; उत्तराखंड; गोवा; अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी। ड्रोन सर्वेक्षण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में संतृप्त किया गया है।

(ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक 5 वर्षों की अवधि में फैली हुई है।

(ग) छत्तीसगढ़ में कवरेज का जिलेवार विवरण **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

(घ) योजना के तहत, भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) को दो घटकों के लिए धन प्रदान किया जाता है - ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण (एलएसएम) और सतत संचालन संदर्भ स्टेशन (सीओआरएस) की स्थापना। सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) और सर्वेक्षण किए जाने वाले गांवों के आधार पर राज्य परियोजना निगरानी इकाई (एसपीएमयू) की स्थापना के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सीमित पैमाने पर धन भी सीधे प्रदान किया जाता है। अब तक योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को 13,14,750/- रुपये जारी किए गए हैं।

***

अनुबंध

'ग्रामीण आवास के मालिकों के अधिकारों का रिकार्ड' के संबंध में 19.12.2023 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2700 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

छत्तीसगढ़ में स्वामित्व योजना जिलेवार कवरेज

क्रम संख्या	जिले	उन गांवों की संख्या जहां ड्रोन उड़ान पूरी हुई	गांवों की संख्या जिनमें संपत्ति कार्ड तैयार किए गए
1	बलरामपुर	194	0
2	बालोद	669	0
3	सक्ती	453	0
4	बस्तर	48	0
5	बलौदाबाजार	666	0
6	मनेंन्द्रगढ़	90	0
7	रायगढ़	613	0
8	नारायणपुर	117	0
9	बीजापुर	0	0
10	जांजगीर चांपा	415	0
11	कोण्डागांव	324	0
12	कबीरधाम	838	169
13	राजनांदगांव	654	0
14	खैरागढ़	420	0
15	पेण्ड्रा मरवाही	213	0
16	मोहला.मानपुर	469	0
17	बेमेतरा	687	0
18	बिलासपुर	601	0
19	सुकमा	0	0
20	कोरबा	533	0
21	महासमुन्द	1073	0
22	गरियाबंद	635	0
23	धमतरी	499	0
24	जशपुर	225	0
25	दुर्ग	385	192

26	सारंगढ़ बिलाईगढ	686	0
27	दंतेवाड़ा	95	0
28	कांकेर	363	0
29	सरगुजा	361	0
30	सूरजपुर	253	0
31	कोरिया	186	0
32	रायपुर	0	0
33	मुंगेली	214	0
	कुल	**12979**	**361**